राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1387/2012/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–अ, अलवर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मुखीजा ट्रेडिंग कम्पनी,
417, ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 16.10.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 178/आरवैट/2010–11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 05.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26, 55 के तहत पारित आदेश दिनांक 29.10.2010 में आरोपित कर रूपये 82,153/– एवं ब्याज रूपये 30,396/– कुल मांग राशि रूपये 1,12,549/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म मोटर वाहनों के टायर्स की विक्रेता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2009 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के बिक्री प्रपत्रों (वैट–10 एवं ऑडिट रिपोर्ट) के अनुसार कर योग्य बिक्री रूपये 1,15,39,985/– दर्शायी गई तथा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कमीशन/डिस्काउंट के रूप में रूपये 6,57,221/– प्राप्त करना दर्शाया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(36) के Explanation-II के अनुसार Sale Price होना माना गया तथा मूल कर निर्धारण में उक्त Sale Price व्यवहारी की आलोच्य अवधि की कर योग्य पण्यावर्त में जुडने से छूट जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कमीशन/डिस्काउण्ट की राशि पर कर व ब्याज आरोपण किये जाने बाबत

निरन्तर 2

व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में प्राप्त किये गये कमीशन/डिस्काउण्ट को अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानों के अनुसार Ex post facto grant of any Commission, Rebate, Discount, Incentive etc. को विक्रय राशि का भाग मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया।

3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बतलाया एवं तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कमीशन/डिस्काउण्ट विक्रेता व्यवहारी से पश्चातवर्ती में प्राप्त किया है अतः ex post facto प्राप्त यह राशि विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय मूल्य में समाहित होगी। परन्तु व्यवहारी ने उक्त राशि को खरीद में से कम किया जाकर विक्रय राशि कम दर्शायी है एवं इस प्रकार करवचंना की गई है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अतः एकपक्षीय निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है। राजस्व पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट जरिये क्रेडिट नोट प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर आरोपित किया गया है। अधिनियम की धारा 2(36) में **'विक्रय मूल्य'** को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :–

> **"(36) "sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

निरन्तर 3

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;"

7. राजस्थान कर बोर्ड ने अपने निर्णय (2013) 35 Tax Update Page 29 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, अलवर बनाम मै. आर.एस. टायर हाऊस अलवर में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने माल के प्रथम विक्रेता व्यवहारी से डिस्काउण्ट प्राप्त किया है एवं जिस पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण II के प्रावधान लागू किए जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपने घोषित विक्रय कीमत में से विक्रय के पश्चात किसी प्रकार का कोई डिस्काउण्ट/रिबेट/कमीशन/रिवार्ड प्रदान नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद पर डिस्काउण्ट/कमीशन प्राप्त किया गया है, न कि विक्रय मूल्य पर। अतः अपीलार्थी द्वारा घोषित विक्रय कीमत को मनमर्जी से बढाया जाकर उस पर करारोपण विधि सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में **राजस्थान कर बोर्ड के अनेक निर्णयों यथा मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी' उदयपुर (2012) 33 टैक्स अपडेट 199; वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी' जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चूमल इलेक्ट्रोनिक्स (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 ;वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–जालोर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार (2012) 34 टैक्स अपडेट 117; वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम–1 पार्ट–1 पेज 31 एवं सहायक आयुक्त, वृत–ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर (2014) 40 अपडेट 203** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

8. इसी प्रकार राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अपील संख्या 221/2012/धौलपुर **वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स शिवा ट्रेडिंग कम्पनी (2015) 41 TUD 235 (RTB) निर्णय दिनांक 27.01.2015** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि–

> "वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिकाउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी से सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर आरोपित कर अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।"

निरन्तर 4

9. प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त Post facto discount की राशि को क्रेता के करयोग्य टर्नओवर में जोड़ते हुए जो करारोपण किया है वह विधिनुरूप सही नहीं है। क्योंकि धारा 2(36) के Explanaiton II के अनुसार बिक्री के पश्चात दिये गये डिस्काउण्ट या प्रोत्साहन राशि को विक्रेता के विक्रय मूल्य में से नहीं घटाया जा सकता है। उक्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है :–

> "Explanaiton - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded."

प्रत्यर्थी द्वारा की गई खरीद के बिलों में विक्रय मूल्य पर नियमानुसार कर चुकाया गया है तथा उसके बाद में दिये गये डिस्काउण्ट को यदि विक्रेता द्वारा विक्रय मूल्य में से कम किया जाता तो ऐसी स्थिति में विक्रेता की बिक्री में से ऐसा डिस्काउण्ट कम किया जाना अनुमत नहीं है। परन्तु इस डिस्काउण्ट को प्रत्यर्थी क्रेता की टर्नओवर में जोड़कर उस पर करारोपण करना विधिक प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है। कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 2(36) की त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक व्याख्या करते हुए Ex post facto discount को क्रेता के टर्न ओवर में जोड़ दिया है जबकि उक्त प्रावधान विक्रेता के लिये लागू होता है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

16.10.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य